न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास–कुमार पाल गौतम,आई.ए.एस

राजस्व मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 76/2016

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल रहमान 2 अब्दुल हनान पुत्र अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी नदी चौक मकराना 3 श्री मुस्तफा उर्फ मुसा के का.मु. 3/1 बाईसा पत्नि मुस्तफा उर्फ मुसा 3/2 अब्दुल हमीद पुत्र मुस्तफा उर्फ मुसा 3/3 मोहम्मद सलीम पुत्र मुस्तफा उर्फ मुसा 3/4 हफीजन पुत्री मुस्तफा 3/5 सलमा पुत्री मुस्तफा उर्फ मुसा पत्नी ओबेदुला उर्फ नन्जु 3/6 मेम पुत्री मुस्तफा उर्फ मुसा पत्नी जाबिर सफी, सभी जाति गेसावत, निवासीगण मस्जिद एहले हदीश के पास मकराना तहसील मकराना जिला नागौर		1. खलील अहमद पुत्र मोहम्मद हारुन 2. मोहम्मद युसुफ पुत्र मोहम्मद हारुन 3. रिजवान पुत्र मोहम्मद रफीक 4. सोहेल पुत्र मोहम्मद रफीक 5. एजाज अली पुत्र मोहम्मद रफीक अप्रार्थीगण संख्या 3,4,5 नाबालिग जरिये माता बाईसा बेवा रफीक सभी जाति गैसावत निवासी पीर की दरगाह रोड़ मकराना पुलिस थाना मकराना जिला नागौर। 6. राजेन्द्रसिंह चांदावत उपखण्ड मजिस्ट्रेट, परबतसर जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से वकील श्री राधेश्याम सांगवा ।
2. अप्रार्थी 1 से 5 की और से वकील श्री श्यामकुमार व्यास एवं अप्रार्थी संख्या–6 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

आदेश दिनांक– 05-02-18

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 411 दण्ड प्रकिया संहिता के अन्तर्गत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में लम्बित 1/2012, 02/2013 सरकार बनाम मुस्तफा को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा पीठासीन अधिकारी से पैरावाईज टिप्पणी तलब की गयी।

कलक्टर, नागौर

प्रकरण मे उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी। वकील प्रार्थी का बहस मे यह कथन था कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के विरूद्ध थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर ने धारा 145 सी.आर. पी.सी. का परिवाद अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर की अदालत में दिनांक 15.10.2012 को पेश किया जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बिदियाद की सरहद में जमीन खसरा नम्बर 156 स्थित है। उक्त जमीन को खनिज विभाग ने सरेण्डर करके गैर सायलान पार्टी नं0 1 व 2 के मार्बल की खान संख्या 240 व 240x क्योरी लाईसेन्स पास करके खनन करने लगे तत्पश्चात गैर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 के आपस में विवाद होने से नुक्शे अमन का अन्देशा होने पर व आपसी दोनों पक्षकारों के बीच फौजदारी मुकदमे दर्ज होने से थानाधिकारी पुलिस थाना परबतसर द्वारा दोनों पक्षकारों को गैर सायल पार्टी संख्या 1 व 2 बनाकर 145 व 146 सी.आर.पी.सी. का परिवाद अदालत उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर में पेश किया जो परिवाद दर्ज कर विवादित खान संख्या 240 व 240x को कुर्क कर रिसीवर नियुक्त किया तथा दोनों पक्षकारों से जबाब तलब किया गया। गैर सायलान पार्टी संख्या 1 व 2 द्वारा जबाब पेश करने पर गैर सायलान पार्टी नं. 1. से शहादत पेश करने का आदेश दिया। इसी बीच गैर सायल पार्टी संख्या 2 ने कुर्की

आदेश के खिलाफ अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश परबतसर की अदालत में निगरानी पेश कर दी जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैर सायल पार्टी नं0 2 ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में धारा 482 सी.आर.पी.सी. के तहत पिटिशन पेश की जो बाद सुनवाई खारिज कर दी गई। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में पिटिशन विचाराधीन होने से उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई पिटिशन खारिज होने के बाद प्रार्थी संख्या 1 की शहादत शुरू हुई और काफी समय तक प्रार्थी संख्या–1 की शहादत नहीं ली गई।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत की पोस्टिंग हुई, जिन्होने प्रार्थी संख्या 1 की शहादत जानबूझ कर नहीं ली तथा मुकदमा लम्बा करने की कोशिश कर रहे है तथा अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 से मिलावट कर अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 को नुकशान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। प्रार्थीगण को श्री राजेन्द्रसिंह उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से इस प्रकरण में न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

परिवाद में अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 की शहादत में अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 मोहम्मद अली के बयान दिनांक 21.2.2017 से पूर्व चीफ हुई थी, जिसकी अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 ने जिरह करने के लिए समय चाहा, अदालत मातहत ने कई बार मौके दिये, दिनांक 21.2.2017 से लगातार अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 जिरह का समय लेते रहे तथा दिनांक 4.9.2017 तक अनेको–अनेको बार पेशी लेने के बावजूद जिरह नहीं की, जबकि अप्रार्थी पार्टी संख्या 1 मोहम्मद अली लगातार पेशी दर पेशी उपस्थित रहे फिर भी बिना किसी वजह के जिरह नहीं की, अदालत मातहत द्वारा जानबूझ कर मुकदमा लम्बा करने हेतु समय दिये जाते रहे।

परिवाद में अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 ने स्थानीय विधायक श्री मानसिंह किनसरिया को विवादित खानों का पार्टनर बनाया तथा विधायक के रिश्तेदार के नाम इकरारनामा करवाकर पार्टनरशीप की है, श्री मानसिंह किनसरिया सतारूढ़ पार्टी का विधायक होने से अपनी ही जाति के श्री राजेन्द्रसिंह चांदावत को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर लगाया जो विधायक जी के दबाव में प्रकरण को लम्बा करने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 के दबाव में आकर कार्यवाही नहीं कर रहे है। प्रार्थीगण ने पेशी वाले दिन विधायक जी के रिश्तेदार को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के चेम्बर में कई बार आते जाते देखा गया, जिससे प्रार्थीगण को अदालत मातहत से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है।

अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को हमेशा अदालत के बाहर धमकिया देते रहे है कि प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने देगें तथा मुकदमा में फैसला हमारे पक्ष में करवा लेगें। दिनांक 19.12.2017 को पेशी के दिन प्रार्थीगण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के पीठासीन अधिकारी ने धमकाया कि अब कोई गवाह नहीं लुंगा तथा फैसला कर दूंगा।

उक्त सारी परिस्थितियों में प्रार्थीगण को यह अन्देशा हो गया है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर प्रकरण में पुरी शहादत नहीं लेगें तथा प्रकरण का फैसला प्रार्थीगण के खिलाफ करेगे। प्रार्थीगण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है तथा प्रार्थीगण को जानबूझ कर नुकशान पहूंचाया जा सकता है तथा अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला कर कब्जा अप्रार्थी पार्टी संख्या 2 को दिला देगें।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक साल में फैसला करने के निर्देश देने के बावजूद आदेशों की पालना नहीं कर रहे है। उक्त परिस्थितियों में उक्त पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय करने हेतु मुन्तकिल करने का वकील प्रार्थीगण ने कथन करते हुऐ प्रकरण संख्या 1/12 व 2/13 की पत्रावली अन्यत्र सक्षम न्यायालय में सुनवाई व निर्णय हेतु मुन्तकिल किये जाने का निवेदन किया।

वकील श्री श्यामकुमार व्यास (अप्रार्थीगण संख्या–1 से 5) ने अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की और से स्वंय द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब में वर्णित तथ्यों को हूबहू दोहराते हुऐ एवं वकील प्रार्थी के कथनों का पुरजोर विरोध करते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा पार्टी संख्या 1 की समय–समय पर साक्ष्य ली गई है एवं वर्तमान में भी प्रकरण साक्ष्य प्रार्थी में ही विचाराधीन है। पार्टी संख्या 1 की ओर से गवाहान सूची पेश की गई व उनको जरिये सम्मन तलब किये जाने का आवेदन पेश

किया, इस कारण उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा विधिवत रूप से उनकी तामील करवाकर उनके बयान लिये जा रहे है।

प्रार्थीगण द्वारा अपनी साक्ष्य में कई अवसर लिये जो न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत आदेशिकाओं से स्पष्ट है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.7.2017 में इस प्रकरण का निस्तारण 1 वर्ष के भीतर भीतर करने का उपखण्ड अधिकारी परबतसर को निर्देश दिये है, इस कारण उपखण्ड अधिकारी परबतसर इस प्रकरण में जल्दी जल्दी तारीख दे रहे है ताकि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना की जा सके।

प्रार्थीगण ने अपने साक्ष्य में काफी समय लिया, तत्पश्चात चूँकि अप्रार्थीगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका पेश की हुई थी, इस कारण जिरह हेतु समय चाहा गया, किन्तु उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा समय–समय पर जिरह की गई है।

प्रार्थीगण ने बिना किसी आधार के बेबुनियाद तरीके से विधायक के रिश्तेदार को पार्टनर बताया है जबकि ऐसी कोई पार्टनरशीप डीड प्रार्थीगण द्वारा पेश नहीं की गई है और न ही विधायक का उक्त प्रकरण से किसी प्रकार का लेना देना है। चूँकि प्रार्थीगण ने विवादित खानों को कुर्क करवा रखा है इसलिए प्रार्थीगण अब इस प्रकरण को लम्बा करना चाहते है और इसी नियत से उन्होने उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है, जबकि उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा मात्र उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों की पालना की जा रही है।

प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किस व्यक्ति द्वारा किसको धमकी दी गई एवं किस दिनांक को धमकी दी गई, इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। उक्त प्रकरण अभी साक्ष्य प्रार्थी में ही विचाराधीन है इसलिए फैसला करवा लेने की बात बिल्कुल ही झूठी व गलत है।

प्रार्थीगण का कथन की दिनांक 19.12.2017 को पेशी के दिन प्रार्थीगण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा प्रार्थीगण को धमकाया कि अब कोई गवाह नहीं लुंगा तथा फैसला कर दूंगा यह कथन अस्वीकार है, क्योंकि उस दिन अधिवक्ता संघ द्वारा न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया हुआ था, ऐसी स्थिति में प्रकरण में कोई सुनवाई ही नहीं हुई तो उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा किसी प्रकार की धमकी दिये जाने का प्रश्न ही नहीं है। इससे पूर्व पेशी दिनांक 18.12.17 को प्रार्थीगण के बकाया गवाह को तलब किये जाने का आदेश जारी किया गया था। साथ ही पेशी दिनांक 26.12.17 में भी शेष गवाह मुख्त्यार अहमद व अब्दुल गफूर को जरिये जमानती वारन्ट तलब किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जिससे स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी द्वारा पूर्ण रूप से उच्च न्यायालय के निर्देशो की पालना करते हुऐ विधिक प्रकिया के अनुरूप कार्यवाही की जा रही है। किन्तु प्रार्थीगण विवादित खानों के संबंध मे किसी प्रकार का फैसला करवाने के इच्छुक नहीं है जिसके चलते उक्त प्रकरण में बदयांतिपूर्वक तरीके से उक्त मुन्तकिली का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

प्रार्थीगण ने उपखण्ड अधिकारी परबतसर द्वारा किस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना नहीं की जा रही है इस बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है बल्कि उपखण्ड अधिकारी परबतसर ने इस संबंध में स्पष्ट विवेचन किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण का 1 वर्ष में निस्तारण करने का निर्देश दिये है। इस कारण प्रकरण में जल्दी जल्दी सुनवाई की जा रही है किन्तु प्रार्थीगण उक्त प्रकरण का अंतिम निस्तारण करवाना नहीं चाहते है, जिसके चलते इनके द्वारा बदयांतिपूर्वक तरीके से यह प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया है, ताकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना ना हो सके, का वकील अप्रार्थीगण ने कथन करते हुऐ प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में आरआरटी 2006–07 (Supp.) पेज नं.–130, आरआरटी 2012 (1) पेज नं.–437, आरआरटी 2007 (1) पेज नं.–107, आरआरटी 2006–07 (Supp.) पेज नं.–435 एवं आरआरटी 2007 (1) पेज नं.–370 न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

राजपैरोकार व वकील अप्रार्थी संख्या–1 से 5 की बहस का समर्थन करते हुऐ कथन किया की मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश 13.07.2017 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में विचाराधीन को वादग्रस्त प्रकरण का 1 वर्ष में निस्तारण करने के निर्देश है, उक्त आदेश की अनुपालना में

उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा प्रकरण में विधिवत व नियमित सुनवाई की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने देने तथा मुकदमा अपने पक्ष में करवा लेने की धमकियां देने एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा दिनांक 19.12.2017 को प्रार्थीगण को पेशी के दिन अब कोई गवाह नहीं लेने तथा फैसला कर देने की धमकी देने एवं अप्रार्थी द्वारा विधायक श्री मानसिंह किनसरिया को विवादित खानों का पार्टनर बनाया जाने तथा विधायक के रिश्तेदार के नाम इकरारनामा करवाकर पार्टनरशीप करने के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वंय के कथनों के अतिरिक्त कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को लम्बित रखने मात्र के उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने का राजपैरोकार ने कथन करते हुऐ प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली, उप जिला मजिस्ट्रेट परबतसर की पैरावाईज टिप्पणी एवं वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का अद्योपान्त अवलोकन किया। मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा आदेश 13.07.2017 से उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर के न्यायालय में विचाराधीन को वादग्रस्त प्रकरण का 1 वर्ष में निस्तारण करने के निर्देश है, उक्त आदेश की अनुपालना में उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा प्रकरण में विधिवत व नियमित सुनवाई की जा रही है।

अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं होने देने तथा मुकदमा अपने पक्ष में करवा लेने की धमकियां देने के संबंध में प्रार्थीगण ने अपने स्वंय के कथनों के समर्थन में अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है एवं न ही प्रार्थीगण ने यह स्पष्ट किया है किन–किन अप्रार्थीगण द्वारा किस–किस तारीख को किस–किस प्रार्थी को धमकी दी है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का उक्त कथन माने जाने योग्य नहीं है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा दिनांक 19.12.2017 को प्रार्थीगण को पेशी के दिन अब कोई गवाह नहीं लेने तथा फैसला कर देने की धमकी देने को लेकर जो कथन किया है, उक्त संबंध में अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की आदेशिका दिनांक 19.12.2017 के अनुसार 19.12.2017 को बार संघ परबतसर द्वारा न्यायिक कार्य का बहिस्कार रखा जाने से उक्त दिनांक को प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त किस–किस प्रार्थी को किसके सामने उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त धमकी दी गई के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्रार्थीगण को उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा धमकी देने का कथन माने जाने योग्य नहीं है।

अप्रार्थी द्वारा विधायक श्री मानसिंह किनसरिया को विवादित खानों का पार्टनर बनाया जाने तथा विधायक के रिश्तेदार के नाम इकरारनामा करवाकर पार्टनरशीप करने के संबंध में प्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वंय के कथनों के अतिरिक्त अन्य कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसलिए प्रार्थीगण का उक्त कथन विश्वनीय प्रतीत नहीं होता है।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर द्वारा प्रेषित पैरावाईज टिप्पणी के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर पर गलत रूप से एवं निराधार आरोप लगाये गये है एवं उनके उपर किसी प्रकार का राजनैतिक या अन्य कोई दबाव नहीं है। उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 13.02.2017 की पालना में प्रकरण का एक वर्ष में निस्तारण करने का निर्देश होने से उनके द्वारा प्रकरण में नजदीक से नजदीक पेशी दी जा रही है। साथ ही दोनों पक्षों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर प्रकरण का माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार निस्तारण किया जा रहा है।

उपरोक्त निवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र ठोस आधारों पर आधारित नहीं होने से खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड मजिस्ट्रेट परबतसर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया गया।

(कुमार पाल गौतम)
जिला कलक्टर,नागौर
कलक्टर, नागौर